सं0–1548/उन्नीस(2)/07–2(114पे0)/2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः29 सितम्बर 2007

विषयः– राज्य सैक्टर की नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवर योजनाओं हेतु वर्ष 2007–08 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2500/धनावंटन प्रस्ताव/ दिनांक 07.08.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सैक्टर की नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार सीवर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रू0 165.005 लाख (रू0 एक करोड़ पैंसठ लाख पाँच सौ मात्र) अनुदान के रूप में तथा रू0 165.005 लाख (रू0 एक करोड़ पैंसठ लाख पाँच सौ मात्र) ऋण के रूप में अर्थात कुल रू0–330.01 लाख (रू0 तीन करोड़ तीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व अवमुक्त	स्वीकृत की जा रही धनराशि		
				अनुदान	ऋण	योग
02	03	04	05	07	08	09
01	देहरादून ब्रान्च सीवर माता मन्दिर	146.20	107.87	19.165	19.165	38.33
02	नैनीताल जलोत्सारण पार्ट–II	157.17	122.13	17.52	17.52	35.04
03	गोपेश्वर जलोत्सारण पार्ट–I आदर्श कॉलोनी एवं पठाली धार क्षेत्र	97.88	45.00	20.03	20.03	40.06
04	डालनवाला सीवरेज योजना	478.56	50.00	108.29	108.29	216.58
	योग :–			165.005	165.005	330.01

2– ऋण अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की वापसी एवं ब्याज अदायगी निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी

(1) ऋण मद की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पूर्व में स्वीकृत ऋणों की अदायगी यदि अभी तक नहीं की गई हो तो ऐसी समस्त धनराशि का समायोजन किये जाने के बाद ही शेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

क्रमशः..2

(2) यह ऋण 15(पन्द्रह) समान किश्तों में व ब्याज सहित प्रतिदेय होगा। इस ऋण का प्रतिदान ऋण आहरण की तिथि से एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगा। उक्त ऋण पर अन्तिम रूप से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु निगम द्वारा समय–समय पर ऋण का प्रतिदान/ब्याज का भुगतान करने की दशा में 3–1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि कालातीत न हो अर्थात अन्तिम प्रभावी ब्याज की दर 11–1/2 (साढ़े ग्यारह) प्रतिशत होगी। ऋण/ब्याज का भुगतान प्रतिदान करने के बाद एक बार भी विलम्ब होने पर ब्याज की दर में कोई छूट नही दी जायेगी।

(3) ऋणी/संस्था/समिति/कारपोरेशन/स्थानीय निकाय आदि प्रत्येक दशा में ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकीय) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजे।

(4) ऋणी/संस्था/संस्थान जब भी ब्याज जमा करे महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर अवश्य भेजे –

(1) कोषागार का नाम
(2) चलान संख्या व दिनांक
(3) जमा धनराशि।
(4) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज
(5) शासनादेश संख्या एव एस0एल0आर0 का सन्दर्भ किश्त ब्याज
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ।

(5) ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगात पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करें। भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था में इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है तथा प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति यथा समय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दे।

3– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश स0–ए–2–87(1)/दस–97–17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष कुल सेन्टेज योजना 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि योजना में इससे अधिक सेन्टेज व्यय होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक का होगा।

4– अनुदान की धनराशि का व्यय ऋण राशि के साथ ही किया जायेगा।

5– जिन योजनाओं में पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग नही किया गया है उन योजनाओं में उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तब ही किया जायेगा जब पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जाय।

6– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि केवल आवश्यकतानुसार ही किश्तों में आहरित की जायेगी।

7– उपरोक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के दिनांक 31.03.08 तक पूर्ण उपयोग कर तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

क्रमश: 3

8–

8– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, सी0जी0एस0 एण्ड डी0, टैंडर और अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

9– व्यय उन्ही मदो/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

10–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें । यदि एक मद/योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजनाओं पर किया जाना पाया जाता है तो इस हेतु विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति मे सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जायेगा और उपयोग के उपरान्त अविलम्ब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा शेष कार्यो हेतु धन प्राप्त कर इस प्रकार पूरा किया जायेगा कि लागत मे वृद्धि न होने पाये ।

12– यदि यह धनराशि आहरित करके अपने बैंक खाते मे रखी जायेगी तो इस धनराशि पर समय समय पर अर्जित ब्याज को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा ।

13– उपरोक्त के अतिरिक्त इन योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त से सम्बंधित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

13–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि लेखाशीर्षक" 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति आयोजनागत 101–शहरीजलापूर्ति कार्यक्रम–05– नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक–"6215–जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्जे–02 मल–जल तथा सफाई–आयोजनागत– 800– अन्य कर्जे 04– पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण–00–30–निवेश /ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

14– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 462/XXVII–2/2007 दिनांक 26 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

क्रमशः..4

संo–1548/उन्तीस(2)/06–2(1151)/2006,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2–आयुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल ।
3–जिलाधिकारी, देहरादून।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7–निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8–स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8–श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग ।
9–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
10–निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव